सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

वैशाख 30, शुक्रवार, शाके 1944-मई 20, 2022

*Vaisakha 30, Friday , Saka 1944- May 20, 2022*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

**वित्त विभाग**

**(कर अनुभाग)**

**जयपुर, मई 19, 2022**

**एस.ओ.24** :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(32)वित्त/कर/2018-03 दिनांक 26.04.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[**सं.एफ.2(32)वित्त/कर/2018-03**]

**राज्यपाल के आदेश से,**

टीना डाबी,

**संयुक्त शासन सचिव।**

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

"अधिसूचना

**जयपुर, अप्रेल 26, 2022**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको) के पक्ष में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) द्वारा 600 करोड़ रूपये के ऋण के लिए निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

**[सं.प.2(32)वित्त/कर/2018-03]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

टीना डाबी,

**संयुक्त शासन सचिव"।**



**Government Central Press, Jaipur.**